



प्रेस नोट- थाना जलालाबाद

जनपद शाहजहांपुर पुलिस

स्राहनीय कार्य, दिनांक-24.12.2025



“थाना जलालाबाद पुलिस टीम द्वारा थाना स्थानीय पर पंजीकृत मु0अ0सं0 609/2025 धारा अन्तर्गत धारा 5ए/8 सीएस एकट व 11 पशु क्रुरता अधिनियम में 05 नफर अभियुक्तगण को किया गया गिरफ्तार”

श्रीमान् पुलिस अधीक्षक महोदय जनपद शाहजहांपुर के निर्देशानुसार, अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण, महोदया के निर्देशन में एवं क्षेत्राधिकारी जलालाबाद महोदय के पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक जलालाबाद के नेतृत्व में चलाये जा रहे अभियान रोकथाम जुर्म जरायम ,अवैध शराब, चोरी , गौ तस्कर व तलाश वांछित अपराधी व वारन्टी तथा बरामदगी अवैध शस्त्र व मादक पदार्थ के क्रम में थाना जलालाबाद पुलिस टीम द्वारा को बड़ी सफलता हासिल हुई।

संक्षिप्त विवरण:-

दिनांक 23.12.2025 को सूचना प्राप्त हुई कि कुछ लोग जिनमें कुछ महिलायें भी हैं। गौवंशीय पशुओं को रस्सी से बांध कर बेचने के लिये ले जा रहे हैं। इस सूचना पर थाना जलालाबाद पुलिस द्वारा मौके पर पहुँचकर देखा तो काफी गौवंशीय पशुओं को कुछ पुरुष व महिलाएं रस्सी से बांधकर ले जा रहे हैं। इन व्यक्तियों से जानकारी की गयी, तथा तथा कड़ाई से पूछताछ की गयी तो सभी के द्वारा एक स्वर में बताया गया कि हम सभी लोग बूँदी व टोंक राजस्थान से करीब 02 माह पहले अपने निजी गौवंशीय पशुओं को लेकर चराने के लिये चले थे। प्रत्येक वर्ष हम अपने गौवंशीय पशुओं को लेकर यू0पी0 के गंगा किनारे बसे हुए शहरों में चराने के लिये लेकर आते हैं, तथा रास्ते में पड़ने गाँव के व्यक्तियों के कहने पर उनके गौवंशीय पशुओं को व घुमते हुए गौवंशीय पशुओं को भी अपने साथ ले लेते हैं, तथा हम लोग उनको राजस्थान वापस जाते समय रास्ते में कुछ कसाइयों के हाथ बेच देते हैं। अभियुक्तगणों के कब्जे से 94 गौवंशीय पशु (गाय 80, साड़/बैल 14) को कब्जे में लेकर उनकी चारा पानी की सुविधा हेतु ग्राम बझेडा में निर्मित गौशाला में लोगों की मदद से ले जाकर ग्राम प्रधान ग्राम महुआड़ाड़ी थाना जलालाबाद जनपद शाहजहांपुर व वहाँ पर नियुक्त चौकीदार अतलेश पुत्र रामनाथ निवासी ग्राम महुआ (प्रबंधक गौशाला)ड़ाड़ी थाना जलालाबाद जनपद शाहजहांपुर के सुपुर्द किया गया। उक्त सम्बन्ध में थाना जलालाबाद पर मु0अ0सं0 609/2025 धारा अन्तर्गत धारा 5ए/8 सीएस एकट व 11 पशु क्रुरता अधिनियम बनाम 1.राजू पुत्र नातू उम्र करीब 55 वर्ष निवासी ग्राम देवली थाना देवली जनपद टौंग राजस्थान 2. मांगीलाल पुत्र रामजी उम्र करीब 70 वर्ष निवासी ग्राम लक्ष्मीपुरा थाना तालेडा जनपद बूँदी राजस्थान 3. सीमा पत्नी महेन्द्र बंजारे का झोपड़ा दौलतपुर रामनगर बूँदी राजस्थान 4. सीता पत्नी भंवर निवासी माताजी का झोपड़ा थाना दवलाना जिला बूँदी राजस्थान 5. कमला पत्नी तेजा निवासी जलाबाड थाना पाठन जिला जलाबाड राजस्थान 6.मानसिह पुत्र नामालूम निवासी अज्ञात के विरुद्ध पर्जीकृत किया गया, जिसकी विवेचना उ0नि0 श्रीअतुल कुमार के द्वारा की जा रही है। उक्त अभियोग में 1.राजू पुत्र नातू उम्र करीब 55 वर्ष निवासी ग्राम देवली थाना देवली जनपद टौंग राजस्थान 2. मांगीलाल पुत्र रामजी उम्र करीब 70 वर्ष निवासी ग्राम लक्ष्मीपुरा थाना तालेडा जनपद बूँदी राजस्थान 3. सीमा पत्नी महेन्द्र बंजारे का झोपड़ा दौलतपुर रामनगर बूँदी राजस्थान 4. सीता पत्नी भंवर निवासी माताजी का झोपड़ा थाना दवलाना जिला बूँदी राजस्थान 5. कमला पत्नी तेजा निवासी जलाबाड थाना पाठन जिला जलाबाड राजस्थान के विरुद्ध नियमानुसार विधिक कार्यवाही की गई तथा शेष अभियुक्त की गिरफ्तारी के सम्बन्ध में अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्तगण का विवरण –

1. राजू पुत्र नातू निवासी ग्राम देवली थाना देवली जनपद टौंग राजस्थान
2. मांगीलाल पुत्र रामजी निवासी ग्राम लक्ष्मीपुरा थाना तालेडा जनपद बूंदी राजस्थान
- 3.. सीमा पत्नी महेन्द्र बंजारे का झोपडा दौलतपुर रामनगर बूंदी राजस्थान
4. सीता पत्नी भंवर निवासी माताजी का झोपडा थाना दवलाना जिला बूंदी राजस्थान
5. कमला पत्नी तेजा निवासी जलाबाड थाना पाठन जिला जलाबाड राजस्थान

पंजीकृत अभियोग का विवरण-

मु0अ0सं0 609/2025 धारा अन्तर्गत धारा 5ए/8 सीएस एकट व 11 पशु क्रुरता अधिनियम थाना जलालाबाद जनपद शाहजहांपुर

बरामदगी का विवरण:-

94 गौवंशीय पशु (80 गाय, 14 साड/बैल)

गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम का विवरण –

1. प्रभारी निरीक्षक श्री राजीव कुमार
2. उ0नि0 श्री जुगेश कुमार
3. उ0नि0 श्री महेश सिंह
4. है0का0 11 नरेन्द्र कुमार
5. का0 2276 दीपकपाल
6. का0 1976 रोहित
7. का0 2180 प्रवीण कुमार
8. म0 का0 2402 अंजू
9. म0 का0 2873 विनय सोलंकी